

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
<p>17⁹/₂₅₂₃</p>	<p>पत्रावली देना रही। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। अदालत में वादी व वादी वकील का बार-बार आवेदन मिलवायी गयी। आवाज मिलवाने के बाद न्याय उपस्थित नहीं। अदालत जाकर देखा कि वादी व वादी वकील अदालत आवेदन चलाने में सक्षम नहीं हैं।</p> <p>अतः मुद्दा १०/१९ दादा शिवप्रसाद व नाम लालमी अदम खजुरी व प्रथम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिल ल सुधार हेतु नम्बर का काम है।</p>	



१०१

०५